

झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

WP (C) संख्या 2600/2013

1. श्री संदीप कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार

2. श्री संजय कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार

3. स्वाति @कुमारी स्वाति, पिता- श्री राकेश कुमार

सभी निवासी- क्वार्टर संख्या . LH/33, ताप्ति रोड ,सांक्ची, पोस्ट और थाना सांक्ची ,

जमशेदपुर जिला -पूर्वी सिंघभूम

....याचिकाकर्ता गण

बनाम

1. श्रीमती यासोदा देवी, स्वर्गीय नरसिंह राव की पत्नी

2. प्रकाश राव, स्वर्गीय नरसिंह राव के पुत्र

3. कृष्ण राव, स्वर्गीय नरसिंह राव के पुत्र

1, 2 और 3 होल्डिंग नंबर ई/731 'ए' ब्लॉक, सोनारी, जिला-पूर्वी सिंघभूम के निवासी हैं

4. आनंद राव पुत्र स्वर्गीय नरसिंह राव, निवासी स्ट्रीट नंबर 41, क्वार्टर नंबर 1/16/ए, एट एंड

पीओ चित्तरंजन, जिला-बर्दवान (पश्चिम बंगाल)

5. मंजू देवी पत्नी बीएन आज़ाद, निवासी स्ट्रीट नंबर 23, क्वार्टर नंबर 4 ए, एट एंड पीओ

चित्तरंजन, जिला-बर्दवान (पश्चिम बंगाल)..... उत्तरदाता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री बिरत कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री ललन सिंह, अधिवक्ता

4/दिनांक: 8 जनवरी 2021

पार्टियों के लिए विद्वत अधिवक्ता की सहमति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की गई है।

यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत है, जिसमें टीएस नंबर 60/1993 में अवर न्यायाधीश VI, जमशेदपुर द्वारा पारित एक -पक्षीय निर्णय और डिक्री दिनांक 18.01.2008 को चुनौती दिया गया है।

शुरुआत में याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि एक -पक्षीय निर्णय और डिक्री दिनांक 18.01.2008 को चुनौती के लिए गलत मंच चुना गया है और इसलिए, उसे निवारण के उपाय की खोज करने के लिए इस रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है।

इस तरह के निवेदन प्रस्तुत करने के मद्देनजर, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता के पूर्वोक्त प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करना उचित को उचित समझा है।

इसके मद्देनजर, रिट याचिका को वापस लेने के कारण खारिज किया गया है, हालांकि, याचिकाकर्ता को शिकायत के निवारण के लिए उपाय खोजने की स्वतंत्रता के साथ।

तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया गया।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)

साकेत/-